

## निविदा सूचना

लोक निर्माण विभाग या अन्य शासकीय विभागों में पंजीकृत निर्माण कार्यों के अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त तथा निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 06.06.2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 28.05.2015 से 05.06.2015 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क(व्यापार कर सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन निर्माण कार्य)
1	बाजपुर को—आपरेटिव शुगर फैक्ट्री की भूमि में पाकेट पार्किंग का निर्माण कार्य।	1135.00	38,000.00	6 माह	1 माह	'डी' एवं उच्चतर
2	—तदैव— बाउण्ड्रीवाल फैनसिंग एवं गेट का निर्माण कार्य।	1135.00	80,000.00	6माह	1 माह	'डी' एवं उच्चतर
3	—तदैव— पार्क में 2 (दो) नग गजीबो का निर्माण कार्य।	1135.00	57,000.00	4माह	1 माह	'डी' एवं उच्चतर

शर्तें— किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं [www.kmvn.gov.in](http://www.kmvn.gov.in) में देखी जा सकती हैं।

निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य हैः—

- 1— निविदा केवल पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा क्य करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2— निविदा के साथ रु0 100/- का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रु0 1/- का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 3— निविदा की धरोहर राशि एन.एस.सी./एफ.डी.आर./कॉल डिपोजिट के रूप में महाप्रबन्धक (नि) कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक करना अनिवार्य है, साथ ही निविदा क्य करते समय उक्त की मूल प्रति निगम में जमा की जानी होगी।
- 4— अपूर्ण, सर्वत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 5— निविदा में मात्रायें घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6— अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
- 7— निविदा के साथ बिकी कर/आयकर का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 8— अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक, एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 9— अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प डियूटी लगाना आवश्यक है।
- 10— निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/96लो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।

- 11— यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12. ठेकेदार को भवन निर्माण कार्य का अनुभव होना चाहिए।
13. निविदादाता निविदा प्रपत्र में अंकित मदों में आंगणन दरों के योग के सापेक्ष प्रतिशत में अपना मत भरेंगे।
14. निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

महाप्रबन्धक(निर्माण)

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिंग नैनीताल  
पंत्रांक 1174 / 10-77 / निर्माण दिनांक 27-5-2015

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1— प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
- 2— सहायक अभियन्ता, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल को शैयडूल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित ।
- 3— समस्त सहायक अभियन्ता, कुमाऊँ विभाग चम्पावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, रानीखेत / बागेश्वर / काठगोदाम को व्यापक प्रचार हेतु ।
- 4— अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।
- 5— मुख्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।
- 6— अनुबन्ध पत्रावली हेतु ।
- 7— निविदा कम्प्यूटर कक्ष को बेबसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

महाप्रबन्धक(निर्माण)